Party has said, the Government can place it on the Table of the House even without the Action Taken Report. As the Minister has already said that two copies can be made available even in the Parliament Library, we, as Government, don't see any problem in placing the Report on the Table of the House. The only problem which I see is that we have to make enough copies of the Report in both the languages before placing it on the Table of the House. That is why, when we don't have about a thousand copies, both in Hindi and English, we keep it in the Parliament Library. The moment these copies are ready, we will place it on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN : We have spent nearly 40 minutes on this question. Now, next question, Shri Khan Ghufran Zahidi.

भारत और नेपाल के बीच समझौता

†*62. **श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल नरेश की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच हुई वार्ताओं और राजनैतिक एवं व्यापारिक समझौता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नेपाल ने कुछ संवेदनशील चीजों पर से शुल्क हटाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) : एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) महामान्य नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र बीर बिक्रम शाह देव राष्ट्रपति के आमंत्रण पर 23 से 28 जून, 2002 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। उनके राज्याभिषेक के बाद नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र की यह पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान महाराजा ज्ञानेन्द्र ने भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने महाराजा ज्ञानेन्द्र से भेंट की। विपक्ष की नेता ने भी उनका स्वागत किया। उन्होंने कोलकाता तथा गुवाहटी की भी यात्रा की।

†Original notice of the Question was received in Hindi.

2. इस यात्रा के दौरान गरमजोशी और सौहार्द के वातावरण में विविध विषयों पर चर्चा हुई। भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण तथा समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले संबंधों को और विकसित करने की महत्ता पर जोर दिया गया। नेपाल के आर्थिक विकास और देश में शान्ति, सुरक्षा एवं स्थायित्व कायम करने की भारत की वचनबद्धता को दोहराया गया।

3. चर्चा के दौरान आतंकवाद का मामला भी आया। महाराजा ज्ञानेन्द्र और भारतीय नेताओं ने आतंकवाद की महाविपदा जिसका इस क्षेत्र में शान्ति तथा स्थायित्व पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ रहा है, से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयास करने के अपने-अपने देश के संकल्प को दोहराया।

4. दोनों पक्ष व्यापार और आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने पर सहमत हुए। नेपाल की सरकार ने उन कुछ करों, उगाहियों और अन्य क्रियाविधिक प्रबंधों जिन्हें नेपाल के साथ संशोधित व्यापार संधि के नवीकरण से पहले लागू किया गया था, की इस आधार पर समीक्षा की मांग की कि उनकी मौजूदगी से नेपाल से भारत को होने वाले निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है। इस यात्रा के बीच में जल संसाधन एवं पर्यटन विकास के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए दोनों देशों के व्यवसाय मंडलों द्वारा दो संयुक्त कार्य बल स्थापित किए गए।

Agreement between India and Nepal

†*62. SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the details of the talks held and the political and trade agreements reached between India and Nepal during the recent visit of the King of Nepal to India;

(b) whether Nepal has made a demand to remove duty on some sensitive items; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH) : (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House.

---

†Original notice of the Question was received in Hindi.

1713 GIPMR/03—2

Statement

His Majesty King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, King of Nepal, paid a State visit to India from June 23—28, 2002, at the invitation of the President. This was King Gyanendra's first visit abroad after his enthronement. During the visit, King Gyanendra held talks with the President, the Vice-President and the Prime Minister of India. Ministers of Home Affairs, External Affairs, Defence, and Human Resources Development, and the Deputy Chairman, Planning Commission called on King Gyanendra. He also received the Leader of the Opposition. He also visited Kolkata and Guwahati.

2. Wide ranging discussions were held during the visit in an atmosphere of warmth and cordiality. The importance of further development of the close, friendly and time-tested ties between India and Nepal was underlined. India's commitment to Nepal's economic development and maintenance of peace, security and stability in the country was reiterated.

3. The issue of terrorism also figured in the discussions. Both King Gyanendra and the Indian leadership reiterated their countries' resolve to make joint efforts in fighting the scourge of terrorism which was adversely affecting peace and stability in the region.

4. Both sides agreed to strengthen trade and economic cooperation. The Nepalese Government has sought review of some of the taxes, levies and other procedural arrangements, which has been introduced before renewal of the revised Trade Treaty with Nepal, on the ground that their existence is affecting Nepalese exports to India adversely. On the margins of the visit, two Joint Task Forces were set up by the business chambers of the two countries for developing cooperation in the fields of water resources and tourism development.

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : सभापति महोदय, इसमें जो स्टेटमेंट दिया है, इसमें किसी तरह का कोई ज़िक्र न तो उस ट्रीटी का किया गया है जो 1996 में हुई और न इसमें 1950 की जो पीस ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी है, उसका कोई ज़िक्र है। साथ ही फरवरी और मार्च के महीने में जो 25 परसेंट वैल्यू ऐडेड ड्यूटी लगाई गई थी, उसका क्या हुआ ? अखबारों में यह खबर आई है, जिसमें यह लिखा है कि हमारे यहां जब 1996 में टैरिफ बना, जीरो टैरिफ के नाम से, उस वक्त तीन गुना ट्रेड बढ़ गया और थर्ड कंट्रीज़ का माल हमारे यहां बिहार में, यू.पी. में, दिल्ली

में और मुम्बई में रीएक्सपोर्ट किया गया और उसमें एक पैसे का भी मिनिमम वैल्यू ऐडीशन नहीं किया गया। सारी मार्केट चौपट हो गई और खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एंटी डम्पिंग मेज़र्स के लिए यहां पर बयान दिया और उसके बाद वे मेज़र्स शुरू हुए। जब वे मेज़र्स शुरू हो गए तो फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ गए, किंग भी आ गए, हमारी उनसे दोस्ती है, वह हमारा पड़ोसी मुल्क है लेकिन उस दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि हमारे मुल्क के बाज़ार बिल्कुल तबाह हो जाएं। इसमें जो सैंसिटिव आइटम्स हैं, यह क्राइटेरिया डिसकस नहीं किया गया है। जवाब देखें तो ऐसा मालूम होता है कि बहुत घुमाकर, एक नहीं दस पर्दों में छुपाकर यह स्टेटमेंट तैयार की गई है और यहां तक जिक्र ही नहीं किया गया है। आपने इसमें चार-पांच सैंसिटिव चीजों का जिक्र नहीं किया, वनस्पति, एक्रेलिक यार्न, जिंक आक्साइड कॉपर वायर, जिसकी वजह से हमारी मार्किट बर्बाद हो रही है। सैंसिटिव आइटम्स के बारे में एक बयान आया है। उसमें कहा गया है, The Government of India has agreed to review the duty itself as also the value addition, just to finish the value addition. अगर ऐसा होता है तो बिहार का बाजार और तबाह होगा, यू.पी. का होगा। अपनी इंडस्ट्री के लिए प्रोटेक्शन का कोई मैकेनिज्म आपके पास नहीं है हमारा सीधा सा सवाल यह है कि कोई क्राइटेरिया बना दीजिए। Is there any mechanism to protect the domestic industry emanating from such imports ? क्या आप इसको देखेंगे ? इसका कोई जवाब नहीं आया है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसकी पूरी जानकारी भी उनको है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा नेपाल से बहुत ही दोस्ताना रिश्ता है। जहां तक हमसे संभव हो पाता है अगर हम यह कहें कि जो भी हमारे आर्थिक पहलू के रिश्ते हैं, उसमें सबसे करीबी का रिश्ता अगर किसी देश से है तो वह नेपाल है। आपने यह बात भी सही कही है कि हमारा बार्डर इतना लम्बा है करीब 1800 किलोमीटर के आसपास। आपने इससे जिन चार आइटम्स का जिक्र किया है, जिससे परेशानी हो रही थी। वहां के नजदीक के जो इलाके थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल और बंगाल तो सारी बातों की जानकारी आपको है और भारत सरकार को भी है। अपने बाजार की सुरक्षा करने के लिए जो जरूरी कदम थे, उनको उठाना भी जरूरी था। आपने स्वयं कहा कि 25 परसेंट वैल्यु एडिशन हमने लगाया। अब अगर उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त आती है, कोई बात हमसे कही जाती है, मित्र होने के नाते हम हमेशा कहेंगे कि हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो हमारे

अपने राष्ट्रीय हित के बाजार है उन पर हम कोई चोट आने देंगे। हम आपको यह आश्वस्त करते हैं।

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ़ यह जानना चाहता हूं कि कौन से मैकेनिज्म आपने प्रोटेक्शन के लिए रखे हैं। आपके अपने बयान में है, उन्होंने हमसे ट्रेड के सिलसिले में बात की। यह भी है कि सारे मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, विक्रम शाह जी से मिले। वे हमारे अच्छे दोस्त हैं। हमें इससे कोई एतराज नहीं है। हमारा यह जानना है कि आपने मैकेनिज्म क्या तैयार किया है ? आपने इस पर कोई मैकेनिज्म डिस्कस ही नहीं किया और न आपने बताया कि हम सैंसिटिव आइटम्स पर क्या क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं और कैसे हम अपनी मार्किट को बचाएंगे। कहीं तो कोई जिक्र हो। आप कह रहे हैं कि आप मोरल और मैटिरियल सपोर्ट देंगे। हम अपने एक्सट्रनल अफेयर मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं, आप इत्तिफाक से मिनिस्टर तो पुराने हैं लेकिन पोर्टफोलियो नया है। आप बताएं कि 1950 की फ्रैंडशिप ट्रीटी को इन्वोक किया। जब माओ-इस्ट इन्सरजेंसी हुई,यह भी क्वेश्चन में है कि कौन से एग्रीमेंट हुए, क्या इन्वोक किया, जो हम आपकी मदद करें, वह भी इन्वोक नहीं किया। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हम इन्वोक करते हैं। कौन से आप अबोलिश कर रहे हैं, कौन सी आप क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप क्लेरिफाई करें, आप जवाब से मुतमईन नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि आपने किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया है, क्या बात हुई ? मान लीजिए फिक्की वहां पर इंडस्ट्री लगाएगा लेकिन आपने अपने ट्रेड कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कैसे बताने की बात की है। इसलिए कि दीपक चटर्जी वहां गए और उन्होंने फैसला दे दिया। उस पर तो अफसोस कर रहे हैं। आपका यह बयान प्रैस में आया है, Indian Government promised to review duties and restrictions that limit Nepal's access to the Indian market. This includes an ongoing review of the anti-dumping duties and the special additional duties imposed on zink oxide. आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया है। क्या क्लेरिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया बनेगा, कैसे आप अपनी इंडियन मार्किट को बचाएंगे ? कम से कम इतना ही बता दीजिए। ... (**व्यवधान**) ...

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति महोदय, इस विषय की थोड़ी जानकारी हमको पूरी जिम्मेदारी के आधार पर है। जैसा कि सदन अवगत है। अगर बहुत पुराने इतिहास में न जाएं और पच्चीस-तीस वर्षों के थोड़े इतिहास में जाएं तो नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पर नेपाल के साथ हमने 1971 में जो ट्रेड ट्रीटी की थी, उसमें वैल्यू एडीशन नॉर्म नब्बे प्रतिशत रखी गई थी। यानी कि भारत और नेपाल का इनपुट्स नब्बे प्रतिशत तक होना चाहिए। अर्थात् नेपाल से जो सामान भारत

के अन्दर आता है वह नब्बे प्रतिशत तक होना चाहिए। 1993 में हमने फिर से जो समझौता उनके साथ किया था उसमें यह नब्बे प्रतिशत से घटाकर पचास प्रतिशत तक कर दिया गया। 1996 में फिर से जो समझौता हुआ उस समझौते में वैल्यू एडीशन नॉर्म्स जीरो हो गया। जीरो इसलिए हुआ क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी पैदा हुई। जैसाकि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अगर नेपाल में हमारा वैल्यू एडीशन किसी मात्रा में नहीं हो रहा था तब भी वहां से भारत में सामान आ सकता था जिससे भारत के आसपास के उद्योगों की क्षति हुई तो हाल में, मार्च 2002 में जब हमने नेपाल के साथ मिलकर ट्रीटी का रिव्यू किया तब उसमें हमने यह तय किया कि हम पहले साल में पच्चीस प्रतिशत वैल्यू एडीशन और दूसरे साल से तीस प्रतिशत वैल्यू एडीशन का प्रावधान करेंगे। वह प्रावधान अब लागू भी हो गया है। माननीय सदस्य, आप जो कह रहे हैं उसमें एक सेफगार्ड तो यह हुआ कि वैल्यू एडीशन नॉर्म्स वापिस स्थापित हुआ। इंडो-नेपाल ट्रीटी में यह पहले वर्ष में पच्चीस प्रतिशत और नेक्स्ट ईयर में तीस प्रतिशत स्थापित हुआ। दूसरी चीज, जिन्हें हम सेंसिटिव आइटम्स कहते हैं, जिनमें वे चार आइटम शामिल हैं जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया, वैजिटेबल फैट्स, एक्रेलिक यार्न, कॉपर प्रोडक्ट्स और जिंक ऑक्साइड, इन चारों में हमने एक टैरिफ कोटा फिक्स किया है। यह कोटा वैजिटेबल फैट्स के लिए एक लाख टन, एक्रेलिक यार्न के लिए दस हजार टन, कॉपर प्रोडक्ट्स के लिए साढ़े सात हजार टन और जिंक ऑक्साइड के लिए ढाई हजार टन तय किया है। इसके अतिरिक्त भी अगर नेपाल से हमारे यहां आयात होता है वह एम०एफ०एन० टर्म पर होगा। यानी कि ड्यूटी देकर। जो सामान्य ड्यूटी सारे देशों के लिए है, वह देकर वे अपना सामान देश में बेच सकते हैं। इस प्रकार हमने दो सेफगार्ड्स किए हैं। एक तो वैल्यू एडीशन नॉर्म्स को दोबारा इंट्रोड्यूस किया और दूसरा एक कोटा फिक्स कर दिया। दूसरी बात माननीय सदस्य ने स्पेशल एडीशनल ड्यूटी की उठाई है। इस साल 28 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था उसमें इन आइटम्स पर, जो सेंसिटिव आइटम्स हैं चार परसेंट स्पेशल एडीशनल ड्यूटी लगाई गई थी। जिंक ऑक्साइड पर हमारे यहां के कानून के तहत एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगी हुई है। इस संबंध में नेपाली पक्ष का कहना है कि यह एक्सेसिव है। आपने अब ट्रेड ट्रीटी कर ली है। इसमें आपने वैल्यू एडीशन नॉर्म्स लगा दिए हैं, कोटा कर दिया है इसलिए इस स्पेशल एडीशनल ड्यूटी और एंटी डम्पिंग ड्यूटी को समाप्त करना चाहिए क्योंकि यह ट्रेड ट्रीटी फाइनेलाइज होने से पहले आपने लगाया था। इस संदर्भ में हमारा उत्तर यह है कि हमने यह बात विदेश विभाग की तरफ से संबंधित मंत्रालयों के ध्यान में ला दी है और वे इस पर कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार ट्रेड ट्रीटी के संबंध में मैं यह स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

SHRI KULDIP NAYYAR : Sir, I would like to seek a clarification from the hon. Minister on an incident which I am going to narrate now. I would like

to know whether it is a part of the new policy of the Government of India after the visit of the king. The incident is this. A few days ago, from a public meeting, four Nepalis were picked up forcefully by the Delhi Police, detained for the whole night and deported. So, I would like to know whether it is the policy of the Government of India that the police would just pick up and deport anybody who is attending some open meeting or watching something. Is there no law, no authority or no court in the country ?

SHRI DIGVIJAY SINGH : Mr. Chairman, Sir, in exercise of power conferred under sub-section (2) of Section 18 of the Prevention of Terrorism Act, on 1st July, 2002, three organisations—Tamil Libration Army, Tamil National Retrieval Force and Akhil Bhartiya Nepali Samaj—have been declared as terrorist organisations. The Government of Nepal has requested the Government of India for an action against Akhil Bhartiya Nepal Ekta Samaj. On July 11, 2002, the Delhi Police detained four Nepalis for holding a meeting of the Communist Party of Nepal Maoists and Akhil Bhartiya Nepal Ekta Samaj Leaders near Mandi House in Delhi. They were deported under section 32(c) of the Foreigners Act. The deportees include Partha Chetri, Maheshwari Dhag, Moti Prasad Risal and Aditi, who were all wanted by the Nepali Police. The Indian activists who had been arrested were released. One of them, Shri Anand Swaroop Verma, has filed a petition in Delhi High Court on 12th July, challenging the deportation. The Delhi Police has conveyed to the court that as the deportation has already been implemented, the writ is infructuous. The hearing has been scheduled on 26th July.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं अपाके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजा ज्ञानेन्द्र जब भारत के दौरे पर 23 जून से लेकर 28 जून तक थे तो विभिन्न विभागों के बारे में और दूसरी चीजों पर भी बातचीत हुई थी और दो ज्वाइंट टास्क फोर्सेज भी गठित हुए जिनमें व्यापार रिसोर्सेज के बारे में भी बात थी।

महोदय, मैं उत्तरी बिहार से आता हूं। वहां सूखा पड़ रहा होता है पर अगर नेपाल में बारिश पड़ रही होती है तो नेपाल की पाहड़ियों की बारिश हमें डुबा देती है। रातों रात पानी आकर गांव के गांव डुबो देता है। स्मगलिंग या आयात-निर्यात हो तो वह समझ में आता है कि यह बार्डर है और बार्डर के माध्यम से यह हो रहा है तथा वहां कई कमजोरियां हैं। पर पानी तो

रातों रात आकर गांव के गांव निगल जाता है। विभिषिका के रूप में आता है और पूरा उत्तरी बिहार जलमग्न हो जाता है। इसके ऊपर बहुत बार संसद में आवाज उठायी गयी और बहुत बार इस पर वार्ता भी हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस पर कोई चर्चा की गयी, क्या राजा ज्ञानेन्द्र से कोई बात हुई और कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया गया कि पानी को किस तरह से रोका जाए और किस तरह से चैनलाइज किया जाए?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य का सवाल खासकर उत्तर बिहार के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज नेपाल की जो नदियां हैं उनका बड़ा ही बुरा असर खास तौर से बिहार के लोगों पर पड़ता है। यही वजह है कि 1960 के दशक में दो बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत दोनों सरकारों ने मिलकर की थी और उन्हें पूरा भी किया—एक कोसी प्रोजेक्ट और दूसरा गंडक। इन दो परियोजनाओं के चलते जो बाढ़ की विभिषिका थी वह रुकी। लेकिन आज भी यह बात सही है कि जो अभी भी नदियों का प्रवाह भारत की तरफ है, उत्तरी बिहार की तरफ है, उसका बुरा नतीजा दिखता है। इसलिए आज से नहीं बहुत दिनों से इस पर प्रयास चल रहा है और खास करके उसकी उपयोगिता हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस बात में है कि अगर उस पानी को ठीक तरह से रोका जा सके तो बिजली का उत्पादन भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। भारत सरकार दो-तीन बड़ी परियोजनाओं पर विचार कर रही है। उन परियोजनाओं का अंतिम स्वरूप और अंतिम रिपोर्ट आने वाली है और माननीय सदस्य ने जो कहा था, एक समय सीमा तय की गयी थी जून के अंत तक उस रिपोर्ट को तैयार करने की लेकिन दुर्भाग्य से वह नहीं हो पाई है। चूंकि नेपाल में भी थोड़ा वहां की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है, केअर टेकर गवर्नमेंट अभी है, उसके चलते कुछ वहां पर परेशानी हो रही है। लेकिन मुझको लगता है कि बहुत जल्दी वह रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको हम दूर करने में कामयाब हो सकेंगे।

DR. KARAN SINGH : Mr. Chairman, Sir King Gyanendra's visit to India, particularly after the palace tragedy, a year ago, and the serious Maoist insurgency was indeed a significant event; and, I think, has gone a long way towards re-stabilising relations between India and Nepal. Apart from tariffs and taxes that were mentioned earlier, I am very glad that my friend Shri

Ahluwalia has raised a very crucial point. Billions of cusecs of water go waste. They not only flood parts of North India, but also go entirely unused into the ocean. For years and years—it is not a few years—for 40 years, there have been plans with regard to Pancheshwar, with regard to Mahakali and with regard to that whole catchment area. Now, for some reason, we have not been able to get to any concrete proposal here. There was a massive proposal regarding World Bank aid and all that. I mentioned this to His Majesty, when I met him, I spent some time with him in the evening. And the one thing he said was that apart from these very large projects, surely, we can also consider more manageable smaller projects, run-of-the-river projects, which can bring electricity. If we are able to harness the waters between India and Nepal, it can go a long way in eliminating poverty from Uttar Pradesh and Bihar; and Nepal will also benefit. I think it is criminal. If I remember correctly, my friend and colleague, Mr. Pranab Mukherjee, was involved in negotiations with the Nepal Government about this Mahakali river, years ago. But, nothing seems to emerge and there is an impression that we simply drag our feet on this. Will the hon. Minister assure the House that this whole question of the utilization of Himalayan waters and Nepal waters is given the highest priority so that our efforts for proverty eradication could be expedited ?

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उससे हम सब लोग सहमत हैं। उसमें कहीं कोई असहमति न तो सरकार की है और न हमारी है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यह सिर्फ हमारे हाथ में बात नहीं है। माननीय सदस्य का तो खुद ऐसा संबंध है कि अगर उनकी भी कुछ पहल हुई होती तो शायद हम लोग इसमें कुछ नई बात हासिल कर लिए होते। वह अपनी सरकार में भी रह चुके हैं और भारत सरकार में भी वह रह चुके हैं, उनका व्यक्तिगत रिश्ता भी नेपाल से है, उस घराने से है जो वहां के राजतंत्र के लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद हम किसी कामयाबी पर नहीं पहुंच पाए तो इसका एक ही कारण है हम सिर्फ अकेले इस काम को नहीं कर सकते हैं। इसमें नेपाल के सहयोग और सहायता दोनों की जरूरत है और उनके सहयोग और सहायता में इस बात को प्रमुखता से हमें ध्यान देना होगा कि जब भी कोई ज्वायंट प्रोजैक्ट होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति, उसको किस तरीके से उसके फंड्ज़ और रिसोर्सेज़ का इन्तज़ाम किया जाए, उसमें उनके स्वाभिमान को किसी तरह से ठेस न पहुंचे, ये

सारी ऐसी जिम्मेदारी की बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। मुझको लगता है कि अगर हम किसी फैसले या नतीजे पर नहीं पहुंच पाए तो उसका सब से बड़ा यह कारण है कि एक बार कोई बात तय नहीं हो पाएगी। क्योंकि यह बात भी सही है कि एक लंबा समय बीत गया। गंडक और कोसी के बाद यह तकरीबन 40-50 साल का समय, क्योंकि यह 60 के दशक में वह काम हो चुका था, और 60 के बाद 40-50 साल में कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे इन चीजों का ध्यान रखा जा सके। इसलिए जहां एक ओर मैं अपने को आपके सवाल से संबंधित करता हूं वहीं दूसरी ओर हमारी यह इच्छा होगी कि जल्द से जल्द इस काम को हम पूरा कर सकें।

प्रो० रामदेव भंडारी : माननीय सभापति जी, अहलुवालिया साहब, बेगुसराय, उत्तर बिहार से आते हैं, मगर मैं मधुबनी जिले से आता हूं और मेरे गांव हो करके कमला-बलान नदी बहती है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। महोदय, उत्तरी बिहार का 70 प्रतिशत इलाका बाढ़ में डूबा रहता है और वह बिहार की नदियों की वजह से नहीं, बल्कि नेपाल से जो नदियां आती हैं जैसे कोसी, कमला, गंडक आदि। मैंने दर्जनों बार इस सवाल को इस सदन में उठाया है मगर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसमें जल संसाधन की बात कही गई है महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। माननीय श्री कर्ण जी ने कहा है। यह बिहार की इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है। हर वर्ष एक हजार करोड़ से अधिक रुपया बिहार को वहन करना पड़ता है और केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई मदद भी नहीं मिलती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, मंत्री जी और सिन्हा साहब भी बिहार से आते हैं, दोनों मंत्री बिहार से आते हैं, वह बिहार की जो गरीबी है, बिहार की जो समस्या है, उस समस्या पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द चूंकि यह दो देशों के बीच का मामला है, नेपाल से बात करके इसका समाधान निकालेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति जी, माननीय सदस्य की राय से सहमति तो पहले ही पूरे सदन ने व्यक्त कर दी है, लेकिन यह बात सही है कि यह सिर्फ कमला नहीं ... महोदय, लाबहा, खांडो, कमला और बागमति--ये चार ऐसी नदियां हैं जिन से हमारे देश में सब से ज्यादा परेशानी होती है। इस पर तटबंध बनाने का प्रस्ताव है और उस संबंध में जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है उस का नतीजा बहुत जल्द आने वाला है और जैसे ही इस ग्रुप की रिपोर्ट आएगी वैसे ही माननीय सदस्य की जो चिंता है कि उसे कैसे पूरा किया जाय, मुझे लगता है कि उसको पूरा करने में हम कामयाब हो पाएंगे।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.